[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

**2013 का विधेयक संख्यांक 22**

[दि इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2013]

# भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2013

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2013 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

बृहत् नाम का संशोधन ।

1956 का 102

**2.** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में बृहत् नाम के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का पुनर्गठन करने के लिए और चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानकों का अवधारण, समन्वय, रखरखाव

और विनियमन करने के लिए, सभी राज्यों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और भारतीय चिकित्सक रजिस्टर रखने के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक "।

धारा 3 का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चक्रानुक्रम से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य;";

(ii) खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां किसी राज्य में कोई स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है वहां वह विश्वविद्यालय, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उससे संबद्ध प्रत्येक दस आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के लिए एक प्रतिनिधि निर्वाचित करेगा :

परंतु यह और कि यदि किसी स्वास्थ्य महाविद्यालय से संबद्ध आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दस से कम हैं तो वह भी ऐसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करने का पात्र होगा:

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् प्रतिनिधियों की ऐसी संख्या का पुनर्विलोकन किया जाएगा;";

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में दो से अधिक पदावधियों के लिए पद धारण नहीं करेगा। ";

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) परिषद् की पदावधि उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए होगी ।" ।

नई धारा 3कक का अंतःस्थापन।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 3क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

परिषद् का पुनर्गठन ।

" 3कक. केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारंभ के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथासंभव शीघ्र परिषद् का पुनर्गठन करेगी:

परंतु नई परिषद् के पुनर्गठन तक धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन गठित शासी बोर्ड परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता रहेगा ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में,—

(क) "या खंड (घ) में" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "और इस प्रकार बनाए गए नियमों में यह उपबंध किया जा सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सक रजिस्टर तैयार हो जाने तक धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य उसके उपबंधों के अनुसार निर्वाचित किए

जाने के बजाय केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

धारा 7 का संशोधन ।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य, चाहे नामनिर्दिष्ट हो या निर्वाचित, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।";

(ग) उपधारा (6) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 9क का अंतःस्थापन।

**7.** मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

परिषद् के कृत्य।

"9क. (1) परिषद् , इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय के अवधारण, समन्वय और मानकों के रखरखाव के लिए और सभी राज्यों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी ।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपायों में अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) चिकित्सा व्यवसाय में वृत्तिक सदाचार के मानक अधिकथित करना;

(ख) आयुर्विज्ञान शिक्षा में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना और अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए अनुज्ञा प्रदान और प्रत्याहृत करना और ऐसी अनुज्ञा के निबंधनों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करना;

(ग) भारतीय चिकित्सक रजिस्टर रखना;

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित विषयों में सलाह देना;

(ङ) देश से बाहर स्थित संस्थाओं में आयुर्विज्ञान शिक्षा को सुकर बनाना;

(च) देश में या उसके बाहर आयुर्विज्ञान शिक्षा को विनियमित करने के लिए ऐसे उपायों का, जो आवश्यक हों, जिम्मा लेना और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को उनकी सिफारिश करना;

(छ) आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय को निरंतर प्रोन्नत करने के क्रम में विचार गोष्ठी, परिसंवाद और कर्मशालाएं आयोजित करना; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित हों ।" ।

धारा 13 का संशोधन ।

**8.** मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(क) उपधारा (2) में "भारत के किसी नागरिक" शब्दों के स्थान पर "भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी विदेशी नागरिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में "भारत के किसी नागरिक" शब्दों के स्थान पर "भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी विदेशी नागरिक" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4क) में "भारत के किसी नागरिक" शब्दों के स्थान पर "भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी विदेशी नागरिक" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "भारत के विदेशी नागरिक" का अभिप्राय वही होगा जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङङ) में उसका है । 1955 का 57

धारा 14 का संशोधन ।

**9.** मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के, परंतुक के "अध्यापन, अनुसंधान या पूर्त कार्य के प्रयोजनों के लिए तत्समय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 21 का संशोधन ।

**10.** मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1) में "नाम" शब्द के स्थान पर "नाम और जीव सांख्यिकी ब्यौरे" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

'(2क) परिषद्, उपधारा (1) में निर्दिष्ट भारतीय चिकित्सक रजिस्टर के अतिरिक्त इलैक्ट्रोनिक चिकित्सक रजिस्टर रखेगी जिसमें भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी ।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति,—

(i) "इलैक्ट्रोनिक चिकित्सक रजिस्टर" से इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रकाशित भारतीय चिकित्सक रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ii) "इलैक्ट्रोनिक रूप" का अभिप्राय वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है ।'। 2000 का 21

नई धारा 23क का अंतःस्थापन ।

**11.** मूल अधिनियम की धारा 23 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नामांकन का नवीकरण।

"**23क.** किसी व्यक्ति का चिकित्सा व्यवसायी के रूप में भारतीय चिकित्सक रजिस्टर या राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकन, ऐसे नामांकन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा:

परंतु कोई चिकित्सा व्यवसायी, जिसके नामांकन के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तुरंत पश्चात् बारह मास की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित किए जाएं, अपने नामांकन के नवीकरण के लिए परिषद् को आवेदन कर सकेगा :

परंतु यह और कि परिषद् बारह मास की अवधि को बढ़ा सकेगी यदि आवेदक यह दर्शित कर देता है कि वह समय के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।"।

नई धारा 30क का अंतःस्थापन ।

**12.** मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र, हटाया जाना और निलंबन।

"**30क.** (1) परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा:

परंतु परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई भी सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे पहले पद त्यागने की अनुज्ञा न दे दी जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन

मास का अवसान होने तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि का अवसान हो जाने तक, जो भी पूर्वतम हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, परिषद् के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, जो—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(घ) किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध कर दिया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वकित है; या

(ङ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में, अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना संपूर्ण हित के लिए हानिकर है; या

(छ) सिद्ध कदाचार का दोषी रहा है।

(3) किसी भी व्यक्ति को उपधारा (2) के खंड (ङ) या खंड (च) या खंड (छ) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक उसके पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।"।

धारा 32 का संशोधन।

**13.** मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रथम परंतुक के अधीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के प्रतिनिधि निर्वाचित करने की रीति;

(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् के निर्वाचन का ढंग;

(ग) धारा 9क की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन परिषद् के अन्य कृत्य;

(घ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के समक्ष किसी अपील को फाइल करने के लिए फीस के संदाय से संबंधित शर्तें;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसका नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।" ।

धारा 33 का संशोधन।

**14.** मूल अधिनियम की धारा 33 में खंड (डक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(डख) धारा 23क के अधीन नामांकन के नवीकरण के लिए प्ररूप, रीति और फीस का संदाय;"।

नई धारा 33क, धारा 33ख और धारा 33ग का अंतःस्थापन।

**15.** मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

"33क. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा बाध्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे लिखित में समय-समय पर दिए जाएं:

परंतु परिषद् को, जहां तक साध्य हो, इस उपधारा के अधीन दिए गए किसी भी निदेश के पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय, कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, अंतिम होगा ।

केन्द्रीय सरकार की विनियम बनाए जाने और विनियमों को बनाने और संशोधित करने का निदेश देने की शक्ति ।

33ख. (1) जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना समीचीन समझती है वहां वह परिषद् को ऐसी अवधि के भीतर जो वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, किसी विनियम को बनाने या पहले से बनाए हुए किसी भी विनियम को संशोधित या प्रतिसंहृत करने का लिखित में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी ।

(2) यदि परिषद् विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे आदेश की अनुपालना करने में असफल रहती है या उसकी उपेक्षा करती है तो केन्द्रीय सरकार या तो आदेश में विनिर्दिष्ट रूप में या उसके ऐसे परिवर्तनों के साथ जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे, यथास्थिति, नियम बना सकेगी या परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों को संशोधित या प्रतिसंहृत कर सकेगी।

नियमों, विनियमों का रखा जाना ।

33ग. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम और विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तन या बातिलीकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पुनर्गठन के प्रयोजन के लिए और भारतीय चिकित्सक रजिस्टर का अनुरक्षण और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा परिषद् को 15 मई, 2010 से एक वर्ष के लिए अधिक्रमित करते हुए और उक्त अधिनियम के अधीन परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए सात से अनधिक व्यक्तियों के शासक बोर्ड के गठन का उपबंध करने के लिए किया गया था। तत्पश्चात् शासक बोर्ड की पदावधि, अधिनियम को 2011 और 2012 में संशोधित करके एक समय में एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, संशोधन अधिनियम, 2012 के उपबंधों के अनुसार परिषद् का पुनर्गठन इसके अधिक्रमण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् 14 मई, 2013 के अपश्चात् किया जाना था।

2. अब परिषद् के पुनर्गठन के लिए और उक्त परिषद् की संरचना का पुनर्विलोकन करने के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परंतुक अंत:स्थापित करके भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अधिनियम, 1956 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे संघ राज्यक्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके और इस विषमता को दूर किया जा सके कि जहां पर राज्यों के अधिक संख्या में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हैं किंतु उन्होंने एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बना लिया है, की परिषद् में उन राज्यों की तुलना में कम सीटे हैं जिनमें कई विश्वविद्यालयों से सहबद्ध कम महाविद्यालय हैं।

3. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अधिनियम, 1956 में यथा अंतर्विष्ट परिषद् के मुख्य कृत्य केन्द्रीय सरकार को चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता के मामलों में सिफारिशें करना, ऐसी अर्हताओं को प्राप्त करने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम और अपेक्षित परीक्षाओं का अवधारण करना, परीक्षाओं का निरीक्षण करना और चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर का अनुरक्षण करना आदि है। 1993 में उक्त अधिनियम के संशोधन द्वारा नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने, स्थापित महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने या नए या उच्चतर अध्ययन के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति क्रमिक राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को न्यस्त की गई थी। इस प्रयोजन के लिए परिषद् इन मामलों में अंतिम विनिश्चय करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सिफारिशी निकाय बन गई। इस क्षेत्र में परिषद् के कार्यों और सामने आई समस्याओं का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, नीति और लोक महत्व के मामलों पर परिषद् को ऐसे निदेश देने, जहां कहीं आवश्यक हों और उनके समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

4. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, संशोधन विधेयक, 2013 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध हैं, अर्थात्:---

(क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के बृहत नाम का संशोधन करने के लिए जिससे कि इसे अधिक व्यापक बनाया जा सके;

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद दो से अधिक पदावधियों के लिए धारण नहीं करेगा;

(ग) प्रथम या द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा भारत के किसी नागरिक को प्रदान की गई आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए जिससे भारत के विदेशी नागरिकों को फायदा दिया जा सके;

(घ) भारत के बाहर किसी देश में आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए। यह

उपबंध किया जाना प्रस्तावित है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय उस संस्था में, जिससे वे संबद्ध हैं, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सीमित किया जाएगा;

(ङ) भारतीय चिकित्सक रजिस्टर से संबंधित अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने के लिए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी राज्य चिकित्सक राजिस्टर में नामांकित सभी व्यक्तियों के जीव सांख्यिकी ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के समय सत्यापित किए जाएंगे;

(च) नवीकरण हेतु यह उपबंध करने के लिए कि कि ऐसा प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी, जिसे भारतीय चिकित्सक रजिस्टर या राज्य चिकित्सक रजिस्टर में इस प्रकार नामांकित किया गया है, ऐसे नामांकन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसके पश्चात् इसे नवीकृत कराया जा सकेगा;

(छ) परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के त्यागपत्र और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित अधिनियम की नई धारा 30क को अंत:स्थापित करने के लिए; और

(ज) परिषद् को नीति के मामलों में और कोई भी विनियम बनाने के लिए निदेश देने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति से संबंधित अधिनियम की नई धारा 33क को अंत:स्थापित करने के लिए।

5. प्रस्तावित संशोधन से परिषद् की संरचना को संहत और प्रतिनिधिक किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार को, देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से अपने कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त किया जाएगा।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली;
13 मार्च, 2013

गुलाम नबी आजाद

## उपाबंध

### भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956
### (1956 का अधिनियम संख्यांक 102) से उद्धरण

* * * *

**भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पुनर्गठन का और भारत के लिए एक चिकित्सक रजिस्टर रखे जाने का तथा तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम**

* * * * *

परिषद् का गठन और उसकी संरचना।

**3.** (1) केन्द्रीय सरकार एक परिषद् का गठन करवाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सिनेट के सदस्यों द्वारा, अथवा यदि किसी विश्वविद्यालय में सिनेट नहीं है तो सभा (कोर्ट) के सदस्यों द्वारा, विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संकाय के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा;

(घ) सात सदस्य, जो किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास तृतीय अनुसूची के भाग 1 में दी गई आयुर्विज्ञान अर्हताएं हों, अपने में से, निर्वाचित किए जाएंगें;

* * * * *

(2) परिषद् के सभापति और उपसभापति उस परिषद् के सदस्यों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किए जाएंगे।

निर्वाचन का ढंग।

**4.** (1) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन निर्वाचन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो उसके द्वारा इस निमित बनाए जाएं, और इस प्रकार बनाए गए नियमों में यह उपबंध किया जा सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सक रजिस्टर तैयार हो जाने तक, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्य, उसके उपबंधों के अनुसार निर्वाचित किए जाने के बजाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

* * * * *

सभापति, उप-सभापति और सदस्यों की पदावधि।

**7.** (1) परिषद् का सभापतिया उपसभापति पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह अवधि परिषद् के सदस्य के रूप में उसकी अवधि के अवसान के बाद नहीं रहेगी।

(2) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदस्य अपने नामनिर्देशन निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए,या जब तक उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप में नामनिर्दिष्टया निर्वाचित न हो जाए तब तक, जो भी अवधि दीर्घतर हो, पद धारण करेगा।

* * * * *

(6) जब पांच वर्ष की उक्त अवधि का किसी सदस्य के बारे में अवसान होने होने वाला है तब उत्तराधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय नामनिर्दिष्टया निर्वाचित किया जा सकेगा किन्तु वह तब तक पद ग्रहण न करेगा जब तक उक्त अवधि का अवसान न हो जाए।

* * * * *

कुछ ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा, जिनकी अर्हताएं प्रथम या द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता।

**13.** (1) * * * * *

(2) वे आयुर्विज्ञान अर्हताएं भी, जो भारत के किसी नागरिक को–

(क) अगस्त, 1947 के पन्द्रहवें दिन के पूर्व, उन राज्यक्षेत्रों में की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा, जो अब पाकिस्तान के भाग हैं, और

(ख) अप्रैल, 1937 के पहले दिन के पूर्व, उन राज्यक्षेत्रों में की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा, जो अब बर्मा के भाग हैं,

अनुदत्त की गई हैं और तृतीय अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी।

(3) भारत के बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं भी, जो तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित हैं ऐसी तारीख से पूर्व, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जो ऐसी कोई अर्हता रखता है, किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो और उसने वह अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण न लिया हो जो अर्हता अनुदत्त करने वाले देश में प्रवृत्त नियमोंया विनियमों द्वारा अपेक्षित हो, अथवा,यदि उसने उस देश में कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है तो, जब तक कि उसने ऐसा व्यावहारिक प्रशिक्षण न लिया हो जो विहित किया जाए।

* * * * *

(4क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और उसने, ऐसी तारीख के पश्चात् जो उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भारत के बाहर के किसी देश में किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त ऐसी कोई आयुर्विज्ञान अर्हता अभिप्राप्त कर ली है, जो उस देश में आयुर्विज्ञान व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त है, किसी राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा रखे गए चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित कराने या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह भारत में ऐसे प्रयोजन के लिए विहित जांच परीक्षण में अर्हता प्राप्त नहीं कर लेता है और ऐसे व्यक्ति के जांच परीक्षण में अर्हित हो जाने के पश्चात् उस व्यक्ति के लिए ऐसी विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता समझी जाएगी।

* * * * *

उन देशों की, जिनके साथ व्यतिकर की कोई स्कीम नहीं हैं, आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता के लिए कुछ मामलों में विशेष उपबन्ध।

**14**(1) केन्द्रीय सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि भारत के बाहर के किसी देश में, जिसकी बाबत आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता के लिए व्यतिकर की कोई स्कीम प्रवृत नहीं है, आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी, अथवा वे ऐसी अर्हताएं तभी होंगी जब वे किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाएं:

परन्तु उन व्यक्तियों को, जो ऐसी अर्हताएं रखते हों, चिकित्सा व्यवसाय—

(क) के लिए तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब ऐसे व्यक्तियों को, चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण का विनियमन करने वाली उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार चिकित्सा व्यवसायियों के रूप में प्रविष्ट किया गया है,

(ख) उस संस्था तक ही सीमित रहेगा जिसके साथ वे अध्यापन, अनुसंधान या पूर्त कार्य के प्रयोजनों के लिए तत्समय संलग्न हैं, और

(ग) उस अवधि तक ही किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया है।

* * * * *

**21.** (1) परिषद् चिकित्सा व्यवसायियों का एक रजिस्टर विहित रीति से रखवाएगी जो भारतीय चिकित्सक रजिस्टर कहलाएगा और जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो तत्समय किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट हों और जो मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हों। भारतीय चिकित्सक रजिस्टर।

* * * * *

**32.** (1) * * * * नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल 30 दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी हो गाया उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**33.** परिषद् साधारणतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, बना सकेगी और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे:— विनियम बनाने की शक्ति।

* * * * *

GMGIPMRND—5797RS(S4)—15.03.2013.